

30/9/24

पत्रा. पेशा हुई। बकु. उप. एमने उभयपक्ष अधिवक्ता-  
गण की बहल पुनी जा-पुकी है। पार्थी वकील  
हे कथन रहे कि एमने ख. नं. 461, 462  
बाड़े ग्राम बरवारा में स्थित है। जिले में  
पार्थी 1/6 हिल्ला खारिदार कडन है। जिले में  
पिपरेमा अपार्थी का ख. नं. 460 स्थित है।  
ख. नं. 460 की अउ में पार्थी-पत्र-  
मैत गेड है। पार्थी द्वारा पार्थी-पत्र  
अपने माँते की तरफ हे अनुसा आपसे  
पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि मेरे मनवर  
की आराजी बलडे मनवर की आराजी  
से लगती है। एवं ये मनवर बाड़े  
में मुख्य परेशान बुरते हैं। आपसे  
निवेदन है कि मेरे खसरे 461 &  
462 में पत्ता गरी कुरवाने के  
होई। उदान करे।

अपार्थी अधिवक्तागण की शारे  
ले कथन रहे कि ख. नं. 461, 462  
में 11 खारिदार है। एवं बाड़ी  
होईके के पार्थी-पत्र पेश किया है।  
ख. नं. 462 के मेरे 459 & 460 नम्बर  
उगे है। जबकि बाड़ी 461, 462 & 460  
बाबर पत्ता गरी कुरवाना चाहता है।  
ख. नं. 460 में कुल 8 कडनकार है।  
एवं 459 में 7 कडनकार है जबकि  
पार्थी-पत्र केवल एमने जिलाप  
पेश किया है। इन्का पार्थी-पत्र  
खारिज किया जावे।  
पार्थी वकील की शारे हे कथन  
रहे कि खसरा नं. 461 व 462 में खारिदार

॥ हे/ एवं वारी ठाणेने ने प्रार्थना-पत्र पेश  
 किया है/ खसरा नं. 462 के अंदर तीन  
 नम्बर 459 और 460 लगे हुए हैं/ जबकि  
 वारी 461, 462 और 460 बाहर पत्तनगद्दी  
 करवाना चाहता है/ खसरा नं. 460 में  
 कुल 8 काइलहा हैं/ एवं खसरा नं.  
 459 में 7 काइलहा हैं/ जबकि प्रार्थना-  
 पत्र केवल हमारे खिलाफ पेश  
 किया है/ अतः अन्तः प्रार्थना-पत्र खारिज  
 करमाया जावे/

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता तथा  
 वी बटल के हुना, रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन  
 किया जो पाया प्रार्थी द्वारा अपने  
 खसरा नं. 461 व 462 के चिपटेमा  
 अपार्थी के खसरा नं. 460 रकबा 0-24 ई  
 की भी मुद्दी गढाई करवाना चाहते हैं  
 प्रार्थी द्वारा प्रमाणित कराने से पूर्व मांडा  
 रिपोर्ट पेश नहीं की गई है अपार्थी  
 सहकारियों हैं तथा वलमें अनेक खारोह  
 हैं अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत  
 धारा 128 LR Act के तहत लिख न  
 होने के कारण खारिज किया जा रहा है  
 पदावली प्रिन्सल सुगाए एके अन्त  
 ले कुल किया जावे बाबिल एन्त

हे/   
 अध्यक्ष अधिकारी  
 नवसे (भारतपुर)